



उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग

खाद्य भवन, प्रथम तल, मसूरी बाईपास, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून।

Email :- rfc.dun@gmail.com

Phone :- 0135-2722897

पत्रांक 148/रबी-खरीद/2021-2022

दिनांक: मई 21, 2022

- | | |
|--|--|
| 1- उप सम्भागीय विपणन अधिकारी,
देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी गढ़वाल। | 2- जिला सहायक निबन्धक,
देहरादून/हरिद्वार। |
| 3- उप नियंत्रक,
विधिक वाट-माप विज्ञान,
देहरादून। | 4- उप निदेशक,
मण्डी परिषद, देहरादून। |
| 5- जिला प्रबन्धक,
यू०सी०एफ, हरिद्वार/देहरादून। | 6- समस्त केन्द्र प्रभारी/
वरिष्ठ विपणन अधिकारी,
गढ़वाल सम्भाग। |
| 7- शाखा प्रबन्धक,
एन०सी०सी०एफ०,
देहरादून। | 8- समस्त मण्डी सचिव,
देहरादून/विकासनगर/ऋषिकेश/मंगलौर/
लक्सर/हरिद्वार/रूड़की/भगवानपुर/कोटद्वार। |

विषय:- रबी विपणन सत्र 2022-23 में विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहू की खरीद के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक रबी विपणन सत्र 2022-23 में विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य रु० 2015.00 प्रति कुन्तल पर राज्य सरकार द्वारा कृषकों को रु० 20.00 प्रति कुन्तल बोनस का अतिरिक्त भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 430(i)/22-XIX-2/01 खाद्य/2022 दिनांक: 18-05-2022 जारी किया गया है। जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। तदनुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- यथोपरि।


सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल सम्भाग, देहरादून।

प्रतिलिपि:- आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
गढ़वाल सम्भाग, देहरादून।

प्रेषक,

प्रताप सिंह शाह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| 1. आयुक्त,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून। | 2. जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/पौडी/
देहरादून/नैनीताल/चम्पावत। |
| 3. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक,
कुमायूँ/गढ़वाल संभाग,
हल्द्वानी/देहरादून। | 4. निदेशक,
मण्डी परिषद,
उत्तराखण्ड, रुद्रपुर। |
| 5. अपर निबन्धक,
उत्तराखण्ड सहकारी विपणन संघ,
देहरादून। | 6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून। |
| 7. प्रबन्ध निदेशक,
भा0रा0कृषि सहकारी विपणन संघ,(नेफेड)। | |

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक / 8 मई, 2022

विषय: रबी विपणन सत्र 2022-23 में विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ की खरीद विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त रबी विपणन सत्र 2022-23 में विकेन्द्रीयकृत प्रणाली के अन्तर्गत मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 2015.00 प्रति कुन्तल पर राज्य सरकार द्वारा कृषकों को ₹ 20.00 प्रति कुन्तल बोनस का अतिरिक्त भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रताप सिंह शाह)
अपर सचिव।

संख्या-430 (i)/22-XIX-2/01 खाद्य/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2- प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि/सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, कुमायूँ एवं गढ़वाल।
- 4- अनु सचिव, मंत्रिपरिषद अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी समिति परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

225
20/05/22